न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 637/दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2012 —पारित—द्वारा तहसीलदार हटा जिला दमोह—प्रकरण क्रमांक 63 अ 12/11—12

भरत पुत्र भूरन लाल यादव
निवासी आजाद वार्ड हटा
तहसील हटा जिला दमोह — आवेदक
विरुद्ध
संजय कुमार पुत्र रमाशंकर द्विवेदी
निवासी बूढ़ा हटा तहसील हटा
जिला दमोह मध्य प्रदेश —— अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव
अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव

<u>आदेश</u>

(आज दिनांक 26.5— 2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हटा जिला दमोह द्वारा प्रकरण कमांक 63 अ 12/11—12 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2012 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार हटा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके नाम मौजा बूढ़ा हटा स्थित भूमि सर्वे कमांक 120/2 रकबा 0.534 हैक्टर है वह इस भूमि का सीमांकन कराना चाहता है। इसलिये राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जावे। तहसीलदार हटा के निर्देश पर पटवारी हलका नंबर 60 ने दिनांक 12—6—12 को सीमांकन किये जाने हेतु सीमांकन सूचना जारी की एंव सीमांकन उपरांत दिनांक 14—6—12 को

सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार हटा ने प्रकरण कमांक 63 अ 12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2012 से स्वीकार कर अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी अपर कलेक्टर दमोह के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर दमोह ने प्रकरण कमांक 13 अ 6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से निगरानी श्रवण करने के अधिकार न होने से निरस्त कर दी। तत्क्रम में तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-6-12 के विरुद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा तहसीलदार के प्रकरण कमांक 63 अ 12/11-12 के साथ अन्य प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ अनावेदक के अभिभाषक ने निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने का तर्क प्रस्तुत किया। इस तथ्य पर विचार करने पर स्थिति यह है कि आवेदक के अभिभाषक ने त्रृटिवश प्रथम निगरानी अपर कलेक्टर दमोह के समक्ष प्रस्तुत कर दी , जो सुनवाई के अधिकार न होने के आधार पर निरस्त हुई है अतः अभिभाषक की त्रृटि से गलत न्यायालय में लगा समय मुजरा करने पर विलम्ब क्षमा योग्य है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव पटवारी व्दारा सीमांकन तिथि निर्धारित करने हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 8-6-12 के अवलोकन पर पाया गया कि पटवारी हलका नंबर 60 ने केवल तीन व्यक्तियों को सीमांकन किये जाने वावत् सूचना पत्र जारी किया है -

1. संजय कुमार पिता रमाशंकर त्रिवेदी
2. भरत घनश्याम पुत्र पूरनलाल
3. राजेश पुत्र रमाशंकर त्रिवेदी

साथ ही पटवारी ने दिनांक 12.6.12 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्य किया है,

जबकि अनावेदक व्दारा तहसीलदार इटा के समक्ष आवेदन दिनांक 10.5.12 प्रस्तुत कर पद 3 में निम्नानुसार मांग की गई है –

" यह कि प्रार्थी उक्त भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक महो. व्दारा कराना चाहता है।" किंतु तहसीलदार ने अनावेदक की मांग के विपरीत पटवारी हलका नंबर 80 से सीमांकन कराया है और पटवारी व्दारा किये गये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है तहसीलदार के आदेश दिनांक 20.6.12 का पद 3 इस प्रकार है–

> " हलका पटवारी के सीमांकन प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः हलका पटवारी व्दारा प्रस्तुत किये गये सीमांकन की पुष्टि की जाती है। प्रतिवेदन पंचनामा, सूचना पत्र, फील्ड बुक, आदेश के मुख्य भाग होंगे।"

विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या हलका पटवारी सीमांकन कार्यवाही करने हेतु सक्षम है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा129 की उपधारा 2 (अ) में व्यवस्था इस प्रकार दी गई है :–

1. इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियां डिप्टी कलेक्टर नजूल तथा सहायक भू अभिलेख अधिकारियों को प्रदान की गई है, धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी आ(4) देखें।
2. राज्य में नजूल अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले समस्त डिप्टी कलेक्टरों को इस धारा के अधीन शक्तियां प्रदान की गई है। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी आ(8) देखें।
3. जिला भोपाल में पदस्थ सभी सहायक बंदोवस्त अधिकारियों को इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी आ(42) देखें।
4. इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियां संहिता की धारा 108 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों को प्रदान की गई है। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी आ(49) देखें।
5. असाधारण राजपत्र दिनांक 23–12–2010 में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ–2–23–2010 सन20–6 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के अनुसार – इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियां समस्त राजस्व निरीक्षकों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गई हैं। धारा 24 (1) की टिप्पणी (आ–53) भी देखें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि हलका पटवारी को सीमांकन करने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं अर्थात मौके पर सीमांकन कार्यवाही सशक्त राजस्व अधिकारी ही कर सकता है और संहिता की धारा 129 के अंतर्गत हलका पटवारी सशक्त राजस्व अधिकारी नहीं है। अतएव वादग्रस्त भूमि बाबत् पटवारी द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही अधिकारिता-विहीन है। इस धारा के अधीन पटवारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। (बाबूराम विरुद्ध नरोत्तम कुमार 1971 रा0नि0 252 से अनुसरित)

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार उटा द्वारा प्रकरण क्रमांक 63 अ 12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 20.6.12 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है। जहाँ तक वादग्रस्त भूमि का सीमांकन न होने का प्रश्न है ? पक्षकार स्वयं की भूमि का पुर्नसीमांकन सक्षम अधिकारी से कराने हेतु स्वतंत्र हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर